18/5/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त है/ भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/5/18 को पेश हो।

24/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018 केम काम्पा में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के पश्चात मूल वाद तिथि से एक वर्ष से अन्तर हकमत जमीन का पत्रावली का मूल्यांकन करने का कोई औचित्य नहीं है अतः हकमत जमीन का आधा भाग सत्यमेव जयते पर खारिज किया जाता है पत्रावली के साथ लगे हकमत जमीन रिकार्ड वापस करें।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

Web Copy - Not Official